सेमेस्टर - पंचम

विषय : बैंकिंग विधि

अध्याय - प्रथम

आलोक कुमार राय (अवक्ता)
लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय

बैंक की अवधारणा

उत्पत्ति :-

बैंक शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न धारणाएँ प्रचलित हैं

1. प्रथम धारणा के अनुसार इसकी उत्पत्ति इटली के 'BANCUS' या BANGUE या BANCO शब्दों से हुई. इनसभी का अर्थ BANCH से है। इटली मे सर्राफ या महाजन BANCH (बेन्चों) पर बैठकर अपना लेनदेन या व्यापार करते थे।

2. इसरी धारणा के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के 'BANCK' शब्द से हुई जिसका अर्थ संयुक्त स्कन्ध कोष (Joint Stock Company) से होता है। कालान्तर में यह BANK से संबोधित किया जाने लगा। इस कार्य को करने वाले को BANKER व व्यवसाय को Banking कहाजाने लगा,

3. तीसरे मत के अनुसार यह फ्रांसीसी भाषा के BANKE और अन्त में अंग्रेजी के शब्द BANK के रूप में प्रचलित हो गया और अब हिन्दी शब्दावली ने भी BANK को बैंक के रूप मे ग्रहण कर लिया है।

REDMI NOTE 7 PRO

बैंक की परिभाषा :-

बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 5 (ख) के अनुसार - "उधार देने या विनियोजित के प्रायोजन से जनता से जमा धन (निक्षेप) प्राप्त करना, जिसका प्राति संदाय मांग अथवा अन्य किसी तरह से होता है और जिसे चेक, ड्राफ्ट आदेश या अन्य किसी तरह से आहरित किया जा सके।"

वेबस्टर (Webster) शब्दकोष के अनुसार - " बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, एक प्रातिष्ठान है जहा धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है।

बैंकर की परिभाषा :-

भारतीय परक्राम्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार - "बैंकर शब्द किसी व्यक्ति को सम्मिलित करता है जो बैंकिंग का कार्य करे तथा किसी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से है।"

बैंक के कार्य :-

1. प्राथमिक कार्य

1. जमा स्वीकार करना: बैंक निम्नलिखित माध्यमों से जमा स्वीकार करती है,

A. बचत खाता मे जमा (Saving Deposite

B. सावधि खाता मे जमा Fixed Deposite

C. चालू खाता मे जमा Current Deposite.

D आवर्ति खाता में जमा Recuring Deposite

2 ऋण और अग्रिम प्रदान करना:

A नगद जमा (Cash Cradit)

B बैंक ओवरड्राफ्ट (Bank Over draft)

C ऋण (Loans)

D. बिल मे छूट · (Discounting Bills

2. द्वितीयक कार्य

अभिकरण (एजेन्सी) कार्य: -

A कोष हस्तान्तरण (Fund Transfer.

B. चकों का एकत्रिकरण (Cheque Collection)

C आवधिक (Periodic) - Rent/electricity Bill etc

D. भुगतान तथा एकत्रीकरण (Payment/collection

E पोर्टफोलियो प्रबंधन (Portfolio Mangement)

F. अन्य कार्य Other function

बैंकों का वर्गीकरण :-

भारत में बैंकों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

1. वाणिज्यिक बैंक
2. लघु वित्त बैंक
3. पेमेंट्स बैंक
4. सहकारी बैंक

1. वाणिज्यिक बैंक :-

वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित किया जाता है। इनको निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - 12 बैंक वर्तमान में
निजी क्षेत्र के बैंक - 22 बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
विदेशी बैंक - 44 बैंक

2. लघु वित्त बैंक -

यह देश में एक आला बैंकिंग खण्ड है और इसका उद्देश्य समाज के उन वर्गों को सामान्य प्रदान करना है जो अन्य बैंकों द्वारा सेवा नहीं दी जाती। लघु वित्त बैंकों के मुख्य ग्राहकों में सूक्ष्म उद्योग, लघु एवं सीमांत किसान, असंगठित क्षेत्र की इकाईयां लघुव्यवसाय इकाईयां शामिल हैं। ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की की धारा 22 की तहत लाइसेन्सधारक हैं और RBI अधिनियम 1934 और FEMA के प्रावधानों से शासित हैं।

EDMI NOTE 7 PRO
I DUAL CAMERA

Date ______
Page ______

3. **पेमेन्ट्स बैंक :-**

यह भारतीय बैंकिंग उद्योग में बैंक का अपेक्षाकृत नया मॉडल है। इसकी RBI द्वारा अवधारणा की गई थी और प्रतिबंधित जमा को स्वीकार करने की अनुमति है। वर्तमान में प्रति ग्राहक 1 लाख रुपये राशि तक सीमित है। वे एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।

4. **सहकारी बैंक :-**

सहकारी बैंकों को सहकारी समितियाँ अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत किया जाता है और वे एक निर्वाचित प्रबन्ध समिति द्वारा चलाये जाते हैं। ये नो प्रॉफ़िट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं और मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में उद्यमियों, छोटे व्यवसायों उद्योगों और स्वरोजगार की सेवा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे मुख्य रूप से कृषि आधारित गतिविधियाँ जैसे की खेती, पशुधन और हैचरी का वित्तपोषण करते हैं। शहरी सहकारी बैंक शहरी व अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंक है। RBI के अनुसार 31 मार्च 2003 को 2104 शहरी प्राथमिक सहकारी बैंक थे जिसमे से 56 अनुसूचित थे इनमे से 79% 5 राज्यों आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक महाराष्ट्र तमिलनाडु में थे।

—•—

~~जबकि~~ **राज्य सहकारी बैंक** केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक संघ है जो राज्य के सहकारी बैंक की संरचना के संरक्षक के रूप में कार्य करती।

अनुसूचित व गैर अनुसूचित बैंक :- जो बैंक RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले बैंक अनुसूचित बैंक और न आने वाले गैर अनुसूचित बैंक होते हैं।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

बैंक और ग्राहक के मध्य सम्बन्ध :-

बैंक का मुख्य कार्य मौद्रिक लेन्यवहार करना है। इस कार्य के आतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों के लिए बहुत सी सेवाएँ करता है और इस रूप में बैंक और ग्राहकों के मध्य कई तरह के सम्बन्ध उत्पन्न हो जाते हैं। जिन्हे निम्नांकित रूप मे स्पष्ट किया गया है।

1. ऋणी और ऋणदाता (लेनदार) का सम्बन्ध
2. न्यासी और हिताधिकारी का सम्बन्ध
3. प्रधान एवं अभिकर्ती का सम्बन्ध
4 व्यापारी और उपभोक्ता का सम्बन्ध

1. ऋणी और ऋणदाता का सम्बन्ध :-

एक खाता खोलने पर बैंकर एक देनदार की स्थिति में होता है और जमाकर्ता अपने बैंकर का एक लेनदार तब तक बना रहता है जब तक उसके खाते में क्रेडिट बैलेंस रहता है। जैसे ही ग्राहक खाता OD हो जाता है। ग्राहक के साथ सम्बन्ध बदल जाता है। वह ग्राहक का लेनदार बन जाता है जिसने बैंकर से ऋण लिया है अर्थात ग्राहक देनदार बन जाता है।

2. न्यासी और हिताधिकारी का सम्बन्ध :-

एक बैंकर पत्र द्वारा की गई जमा की रिपोर्ट में अपने ग्राहक का ऋणी होता है लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह न्यासी के रूप में कार्य करता है।

एक न्यासी होल्ड पैसे पर संपत्ति रखता है और लाभार्थी नामक किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करता है

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

उदाहरणार्थ :- यदि ग्राहक सुरक्षित अभिरक्षा के लिए बैंकर के पास प्रतिभूति या अन्य मूल्य जमा करता है तो वह उसके ग्राहक के न्यासी के रूप में कार्य करता है।

3. <u>प्रधान एवं अभिकर्ता का सम्बन्ध</u> :-

एक बैंकर अपने ग्राहक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और अपने ग्राहक की उपयुक्तता के लिए कई एजेन्सी कार्य करता है।

उदाहरणार्थ - वह अपने ग्राहक के लिए प्रतिभूतियाँ खरीदता या बेचता है, अपनी ओर से चेक एकत्र करता है और अपने ग्राहकों के विभिन्न भुगतान करता है।

* <u>व्यापारी एवं उपभोक्ता का सम्बन्ध</u> :-

एक बैंकर द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि उसकी देयता है जो माँग पर या अन्यथा देय है।

परक्राम्य अधिनियम 1881 की धारा 31 के अनुसार बैंकर अपने ग्राहकों के चेक का सम्मान करने के लिए बाध्य है वह निम्न शर्तों द्वारा प्रदान की गई चेक पूरी की जाती है

1. ग्राहक की पर्याप्त निधियों उपलब्धता
2. चेक की शुद्धता
3. चेक की उचित प्रस्तुति
4. संगट का उचित समय
5. चेक का उचित ड्राईंग

बैंकर का दायित्व है की वह अपने ग्राहक के खाते के बारे में गोपनीयता बनाए रखने में अत्यन्त सावधानी बरते। बैंक ग्राहक के खाते के अलावा प्रकटीकरण न करें।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

बैंको पर सरकार और उसके अभिकरणों द्वारा नियन्त्रण :-

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र के विनियमित करने के लिए समय समय पर विभिन्न दिशा निर्देश, अधिसूचना और नीतियाँ जारी करता है। इसके आलावा विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम 1999 (फ़ेमा) बैंकों सहित भारतीय संस्थाओं द्वारा सीमा पार विनिमय लेनदेन को नियन्त्रित करता है।

भारत में बैंकों को मुख्य रूप से चार भागों मे वर्गीकृत किया जाताहै। अनुसूचित व्याणिज्यिक बैंक सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं लघु वित्त बैंक

इनको नियन्त्रण करने के लिए निम्नलिखित विधियाँहै।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 :-
इसे बैंक का बैंक भी कहा जाताहै यह भारत की मौद्रिक नीती को विनियमित करने के लिए RBI को शक्तियाँ प्रदान करता है और RBI के संविधान, पूँजी प्रबन्धन व्यवसाय एवं का कार्यों को

बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 :-
सभी बैंको के अवलोकन एवं विनियमन के लिए सीमा निर्धारित करता है। यह RBI को बैंको को लाइसेन्स देने और उनके व्यवसाय संचालन को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।

बैंकिंग कम्पनी के लेखा और अंकेक्षण का प्रबन्धन :-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में भारत में निगमित प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी, केन्द्र सरकार द्वारा राजपत्र में निर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा 12 महीने की अवधि समाप्त होने जा रही हो अन्तिम कार्य दिवस के अनुसार अर्थात (31 march). एक चिट्ठा (Balance Shee) और लाभ हानि खाता (P&L A/c) तैयार करना होगा। यह प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग होगा। तीसरी अनुसूची के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार भी इसका निर्माण हो सकता है।

इसी प्रकार प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी जिसे भारत के बाहर निगमित किया गया है को चिट्ठा तैयार करने की आवश्यकता होती है तथा भारत में अपनी शाखा से सम्बन्धित लाभ हानि खाता भी

हम जानते है तीसरी अनुसूची का फार्म ए चिट्ठा व फार्म बी लाभ हानि खाते से सम्बन्धित है।

बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 30 के अनुसार- चिट्ठा और लाभ हानिखाता धारा 29 के अनुसार तैयार करके योग्य व्यक्ति से ~~अंकेक्षक~~ अर्थात अंकेक्षक (Auditor) से अंकेक्षण किया जाना चाहिए। यहा यह भी बता देना आवश्यक है कि यहा अंकेक्षक की नियुक्ति, पुन: नियुक्ति या हटाए जाने के पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेना आवश्यक है। जमाकर्ताओं के हित के लिए RBI विशेष अंकेक्षण का आदेश भी दे सकती है।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

बैंकिंग कम्पनी में सुधार और पुनर्गठन

1991 में उदारीकरण की शुरुवात के बाद से भारत में बैंकिंग उद्योग परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ब्याज दरों में काफी गिरावट आई है, लेकिन बैंको द्वारा ऋण देने का सबूत है। ग्रामीण ऋण के संदर्भ में बैंकिंग के सामाजिक उद्देश्यों को अपेक्षित रूप से से पीछे ले जाया जाता है। बैंको के प्रदर्शन में समय के साथ सुधार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन और बैंक के अलावा खराब रहा है। समग्र रूप से बैंकिंग क्षेत्र और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अभी भी काफी एन.पी.ए. से पीड़ित है। समय के साथ स्थिति मे सुधार हुआ है। SARFAESI अधिनियम को तहत नए कानून बैंको के NPA के खिलाफ उनके संघर्ष में नये विकल्प प्रदान कर रहे हैं।

मापदण्डों को अपनाना ~~हालके~~ हालांकि भारतीय बैंकों के साथ साथ नियामकों के लिए भी नई चुनौती है। अधिक समय तक भारतीय बैंकिंग उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी और कम केंद्रित हो गया है। नये निजी क्षेत्र के बैंक सबसे अधिक कुशल रहे हैं। हालांकि हाल ही मे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के पतन ने दक्षता और नियामक प्रभावशीलता के मुद्दों को उठाया है। यस बैंक को भी किसी तरीके से पटरी पर लाया गया। भारतीय बैंकों ने अपनी भौगोलिक प्रसार कार्यात्मक पहुंच और वित्तीय प्रणाली बढ़ाने मे सराहनीय प्रगति की है। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

Date
Page

प्रणाली मे दक्षता लाना है और बैंको को आंतरिक रूप से व्यवहार्य और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

बैंकिंग कम्पनियों का पुनर्गठन 1993 मे हुआ जिसके परिणामस्वरूप सभी बैंकिग कम्पनियाँ घाटे में आ गई। अभी हाल मे ही अनुसूचित बैंकों का एकीकरण किया गया है। जैसे

बैंक आफ बड़ौदा में विजया बैंक व देना बैंक का विलयन
केनरा बैंक मे (सिंडीकेट बैंक का विलयन)
इण्डियन बैंक मे (इलाहाबाद बैंक का विलय
पंजाब नेशनल बैंक मे (ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स तथा यूनाइटेड बैंक का विलयन
यूनियन बैंक में (आंध्रा बैंक व कारपोरेशन बैंक का विलयन)

अब 12 अनुसूचित बैंक ही बचे है।

बैंकिंग कम्पनी के व्यवसाय का निलम्बन एवं परिसमापन :-

बैंकिंग कारोबार का निलम्बन :-

बैंककार संव्यवहारों को बैंकिंग कम्पनियों द्वारा कुछ अवधि के लिए स्थगित करने से है। जिसे व्यापारिक अर्थों में अधिस्थगन (Moratorium) कहा जाता है। रिजर्व बैंक यदि उपयुक्त या ठीक समझता है तो अत्यन्त अल्पकाल के लिए अधिस्थगन करता है। इसके द्वारा बैंकिंग कम्पनियों के विरुद्ध कार्यों व कार्यवाहियों के प्रारम्भ और बनाए रखने से रोकने से है। ~~धारा~~ इससे सम्बन्धित प्रावधान निम्न है।

A. उच्च न्यायालय द्वारा - धारा 37.

एक बैंकिंग क० अपनी दायित्वों के भुगतान करने मे असमर्थ है तो उसके आवेदन पर निर्धारित समयावधि के लिए कम्पनी के कार्यों व कार्यवाहियों को निलम्बित करने का निर्देश देता है। यह किसी भी स्थिति में अधिस्थगन की अवधि 6 मास से अधिक न होगी। ऐसा कोई आवेदन उस समय तक पोषणीय नहीं है जब तक रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कि अपने दायित्वों का भुगतान करने में समर्थ होगी ~~यदि~~ न लगा हो।

उच्च न्यायालय पर्याप्त कारणों सहित रिजर्व बैंक के रिपोर्ट के बिना भी अनुतोष दे सकती है। उच्च न्यायालय रिजर्व बैंक से रिपोर्ट मांग सकती है और रिपोर्ट के अनुसार यदि परिस्थितियों मे ज्यो उचित हो या न्याय के गत हो पहले से पारित प्रस्ताव को रद्द कर [illegible] पुनः आदेश जारी कर सकती है।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति: उच्च न्यायालय धारा 37(3) के अन्तर्गत विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है जो बैंकिंग कम्पनी की समस्त आस्तियों, पुस्तकों अभिलेखों, प्रभावों और अनुयोज्यदावों को अपने नियन्त्रण मे तुरन्त लेना जिसे बैंकिंग कम्पनी हकदार है या हकदार होने के स्थिति रखती है। तथा उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो जमाकर्ताओं और बैंकिंग क. के हितो को ध्यान मे रखकर उच्च-न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया गया है।

जहा RBI संतुष्ट है उस बैंकिंग क० के मामले मे जहॉ अधिस्थगन का आदेश दिया गया था। जमाकर्ताओं के हितो के प्रतिकूल है। कम्पनी के समापन के लिए उच्च-न्यायालय मे आवेदन किया जा सकता है। इस दशा मे अधिस्थगन के नवीनीकरण पर उच्च-न्यायालय द्वारा विचार नही किया जाएगा।

B. केन्द्रीय सरकार द्वारा: —

रिजर्व बैंक को आवेदन करने की शक्ति: — धारा 45 के अनुसार किसी प्रवृत्त अनुबन्ध या अभिलेख या किसी अन्य विधि या अनु० मे विहित पूर्व उपबन्धों को होते हुए भी RBI के पर्याप्त कारणों से स्पष्ट है कि ऐसा करना ठीक है वहा केन्द्रीय सरकार को किसी बैंक के सम्बन्ध में अधिस्थगन आदेश हेतु आवेदन किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार शर्तों और निबन्धनों के अधीन कम्पनी के विरुद्ध अधिस्थगन या रोक सकती है। और इसे 6 माह से अनधिक सीमा तक विस्तारित कर सकती है। इसका प्रभाव होगा —

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

बैंकिंग कम्पनी का परिसमापन :-

बैंकिंग क० का समापन 3 तरीके से होता है।

1. उच्च-न्यायालय द्वारा परिसमापन
2. स्वैच्छिक परिसमापन
3. न्यायालय के संरक्षण में परिसमापन

उच्च-न्यायालय द्वारा परिसमापन :-

कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च-न्यायालय एक बैंकिंग कम्पनी के परिसमापन का आदेश करेगा यदि बैंकिंग कम्पनी अपने दायित्वों के भुगतान करने में असमर्थ है तथा यदि इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा परिसमापन के लिए आवेदन किया गया है।

स्वैच्छिक समापन :-

किसी बैंकिंग कम्पनी का स्वैच्छिक समापन केवल उसी दशा में किया जाएगा जबकि रिजर्व बैंक द्वारा यह लिखित रूप से प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी अपने लेनदारों के दायित्वों एवं करणों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में समर्थ है।

न्यायालय के पर्यवेक्षण में परिसमापन :-

उच्च-न्यायालय उस दशा में जहाँ किसी बैंकिंग कम्पनी का परिसमापन स्वैच्छिक रूप से किया जा रहा है। यह आदेश कर सकेगा कि ऐसा परिसमापन न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

बैंकिंग कम्पनी पर सामाजिक नियन्त्रण :

बैंक क्रेडिट प्रदान करने के लिए बचत एवं शक्तिशाली संस्थानों के संरक्षक है। वे जमा के माध्यम से सभी वर्गों से संसाधन जुटाते है और ऋण देने के माध्यम से उन्हें उद्योग और अन्य लोगों के साथ जोड़ते है। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया। यह देखा गया कि वाणिज्यिक बैंक बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए अपनी प्रगति का निर्देशन कर रहे थे और कृषि लघु उद्योग और निर्यात जैसे प्राथमिकता वाली क्षेत्रों की उपेक्षा की गई।

बैंकों के अध्यक्ष व निदेशक अधिकतर उद्योगपति थे और वे बड़ी मात्रा में उद्योगों का ऋण और अग्रिम स्वीकृत करने में काफी रुचि रखते थे जिसके साथ वे जुड़े हुए थे। सरकार ने यह महसूस किया कि पूँजीवादी बैंकिंग के मुकाबले सामाजिक बैंकिंग की आवश्यकता है। सामाजिक नियन्त्रण की एक योजना 1967 में शुरू की गई और बैंकों के कामकाज में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए दिसम्बर 1968 में बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया और 1-2-1969 को लागू हुआ जिसे सामाजिक नियन्त्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तात्कालिक उप-प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने विधेयक पेश करने के पूर्व संसद पर एक बयान दिया — " हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को विनियमित करना ताकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूलतम विकास दर प्राप्त हो सके और एक ही समय में सकाधिकार को प्रवृत्ति आर्थिक शक्ति का एकाग्रता व संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

बैंकिंग लोकपाल :-

• बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी उच्च प्राधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी होता है और यह भारतीय बैंकों के ग्राहकों की समस्याओं एवं शिकायतों का निवारण करता है। वैसे तो बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में लागू की गई थी लेकिन 2002 एवं 2006 में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए संशोधन किए गए ताकि बैंकों द्वारा स्वच्छ, पारदर्शी भेदभाव रहित एवं जिम्मेदारीपूर्वक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा सकें। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के अन्तर्गत लोकपाल एक स्वशासी स्वतन्त्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखती है। ग्राहकों की सुविधा व बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए यह योजना संचालित है जिसके माध्यम से बैंक के किसी अधिकारी, कर्मचारी की शिकायत या समय से सेवाएँ न मिलने की शिकायत निःशुल्क डाक, ई मेल व आनलाइन कर सकते हैं जिसका निस्तारण 30 दिन के अन्दर किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस द्रुतगामी निस्तारण योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नये क्षेत्रों मे ग्राहकों की शिकायतें जैसे क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी, बैंकों के सेल्स अभिकर्ता द्वारा वचनबद्ध सेवाएँ प्रदान न करने, बैंकों द्वारा वचनबद्धता को पूरा न करना, ग्राहकों को सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाना व नोट करेन्सी के सिक्के व नोट स्वीकार न करना या स्वीकारने हेतु कमीशन लेना की शिकायत कर सकेंगे।

बैंकिंग सेवाओं के नवीनतम रुझान :-

स्वचालित टेलर मशीन (ATM)

यह एक इलेक्ट्रानिक बैंकिंग आउटलेट होता है जो ग्राहकों को बिना अपने बैंक गए मूल बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्रदान करता है। इसके माध्यम से नकद निकासी, कोष हस्तानान्तरण आदि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की मदद से सम्पादित कर सकते हैं। इसमें कैशियर, क्लर्क या बैंक टेलर की आवश्यकता नहीं होती। इसे यूरोप, अमेरिका, रूस आदि में आटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश प्वाइन्ट, होलइनद वॉल बैनकोमैट जैसे नामों से जाना जाता है। यह जापान स्वीडन अमेरिका व इंग्लैण्ड में जन्मा व विकसित हुआ। यह ग्राहकों को 7 दिन 24 घंटे अपना पैसा निकालने में सक्षम बनाता है। यह बैंक खाता का शेष विवरण निकासी निष्कर्ष, मिनी स्टेटमेंट प्रिन्ट के माध्यम से प्रदान करता है। अब SBI yono के माध्यम से बिना ए॰टी॰एम॰ कार्ड के भी सुविधा प्रदान कर रहा है। इसमें आपको पंजीकृत मोबाइल न॰ पर ओ॰टी॰पी॰ व रेफरेंस न॰ प्रदान करता है आप स्वयं या किसी और के माध्यम से OTP और Ref No दे कर कहीं भी नकद निकासी कर सकते हैं। इसमें बैंक ए॰टी॰एम॰ कार्ड आपको देती है जिसमें चिप लगा होता है। उसी को पढ़ कर मशीन प्रोसेस करती है। अलग अलग बैंक के लिमिट अलग है जितना पैसा आप नकद निकाले या खरीदारी करें।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

इन्टरनेट बैंकिंग :-

इन्टरनेट बैंकिंग को आनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेनदेन की एक श्रृखला का संचालन करने में सक्षम बनाती है। यह वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन की भी सुविधा प्रदान करती है। यूजर वेबसाइट या आनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग करके उसी बैंक / विभिन्न बैंक के अन्य खातो से धनराशी ट्रांसफर कर सकता है। ग्राहक इसके लिए, कम्प्यूटर, लैपटाप, या मोबाइल फोन के माध्यम से इसका उपयोग कर सकता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी व्यक्ती घर या कार्यालय या कहीं से भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। इसने ग्राहक अथा उपभोक्ता बैंको के नेटवर्क और वेबसाइट पर अपनी पहुच बना सकता है और घर बैठे खरीदार, पैसे का स्थानांतरण सावधि जमा, ड्राफ्ट बनवाना और बैंको से मिलने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते है। इसका प्रयोग सावधानी के साथ करना चाहिए और अपने पासवर्ड कुछ दिनों पर बदलते रहना चाहिए।

स्मार्ट क्रेडिट कार्ड :-

सामान्यतः स्मार्ट क्रेडिट कार्ड किसी बैंक या कम्पनी के साथ एक वित्तीय समझौता है जिसके अन्तर्गत किसी सेवा या खरीदारी के लिए के लिए भविष्य में भुगतान किया जाता है। और बैंक या कम्पनी ग्राहक द्वारा ली गई सेवा अथवा खरीदारी के लिए तुरन्त भुगतान करती है ग्राहकों को यह धनराशि एक निश्चित समय के भीतर चुकानी होती है। इसके लिए ग्राहक द्वारा बैंक को वार्षिक शुल्क देना होता है। क्रेडिट कार्ड बैंक पतला 3x2 इंच का प्लास्टिक कार्ड होता है। जिस पर मैग्नेटिक चिप लगा होता है जो ग्राहक की सम्पूर्ण जानकारी से युक्त होता है। मूलतः क्रेडिट कार्ड तीन प्रकार के होते हैं।

(I) बैंक कार्ड
(II) ट्रैवल एण्ड इण्टरटेनमेण्ट कार्ड
(III) कम्पनी या रिटेल स्टोर कार्ड

क्रेडिट कार्ड के समान ही ग्राहकों को स्मार्टकार्ड भी जारी किया जाता है। इसमें व क्रेडिट कार्ड मे अन्तर यह होता है कि क्रेडिट कार्ड की एक धनीय सीमा होती है जब कि स्मार्ट कार्ड में कोई सीमा नहीं होती। स्मार्ट क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा निर्गत किया जाता है जिसकी धनीय सीमा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

बैंकिंग कपट :

अवैध तरीको का उपयोग करके किसी दूसरी वित्तीय संस्था के स्वामित्व वाले धन, पूंजी या अन्य सम्पत्ति को प्राप्त कर लेना बैंक कपट कहलाता है। इसके आलावा झूठे ही अपने को किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान कहकर / बताकर जमा कर्त्ताओं से धन प्राप्त करना भी बैंक कपट है। आन लाइन बैंकिंग भी इससे अछूता नहीं है। हैकर क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं की जानकारी चुरा लेते हैं जिसे वह इस्तेमाल करते हैं यह एटी एम. या गैस पंप पर स्कीमर लगाकर किया जाता है रिटेलर के कम्प्यूटर से समझौता कर हैकर्स हजारों कार्डो का डंप करते हैं जिसे क्रेडिट कार्ड डंप कहते हैं। इसके आलावा बैंक कर्मचारी बनकर फोन के द्वारा ATM PIN पूछते है और PIN नं० लेकर बैंकिंग कपट को अंजाम देते हैं।